



प्रेस नोट - दिनांक 29.07.2026

थाना अजगैन, जनपद उन्नाव ।

दो मोबाइल चोर गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजगैन पुलिस द्वारा दो मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 27.07.2026 को कस्बा नवाबगंज के जय अम्बे मेडिकल स्टोर से दो स्कूटी सवार अज्ञात व्यक्ति जिसमें एक व्यक्ति स्कूटी लेकर बाहर खड़ा था तथा दूसरा व्यक्ति दवा लेने के बहाने जय अम्बे मेडिकल स्टोर से एक अदद मोबाइल मॉडल वीवो चोरी करके भाग जाने के सम्बन्ध में आवेदक श्री यशराज गुप्ता पुत्र श्रीकान्त गुप्ता निवासी वार्ड नं० 4 सुरेश नगर नवाबगंज थाना अजगैन जनपद उन्नाव से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अजगैन पर मु०अ०सं० 322/26 धारा 305 BNS पंजीकृत किया गया। थाना अजगैन घटना का सफल अनावरण करते हुये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर व मुखबिर की सूचना पर पक्षी विहार रिंग रोड पुलिया पर से अभियुक्तगण 1. विशाल यादव पुत्र प्रेमपाल सिंह उम्र करीब 23 वर्ष निवासी म०नं० 367 छत्तरपुर पहरी थाना महरौली जिला साउथ दिल्ली मूल निवासी हुमायूँपुर थाना कोतवाली दक्षिण जिला फिरोजाबाद 2. आशु पुत्र प्रान अहिरवार उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम सरवाई गवहानी थाना सरवाई जिला छतरपुर म०प्र० को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से एक अदद मोबाइल आईफोन कम्पनी स्वयं का, एक अदद मोबाइल वीवो कम्पनी का जिसका पैटर्न लोक वादी द्वारा बताया गया (जिसके सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि यह मोबाइल हम दोनों ने कल रात को नवाबगंज में एक मेडिकल की दुकान से चोरी किया था), एक अदद मोबाइल ओपो कम्पनी स्वयं का, एक अन्य मोबाइल फोन वन प्लस कम्पनी , एक अदद मोबाइल टैक्नो एक अदद मोबाइल रेडमी कम्पनी , एक अदद मोबाइल सैमसंग कम्पनी बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस व 35(1) बीएनएसएस की बढोत्तरी की गयी तथा घटना में प्रयुक्त अदद स्कूटी TVS NTORQ125 Race XP बिना नम्बर प्लेट क्षतिग्रस्त हालत जिसकी डिगी में दो नम्बर प्लेट आगे पीछे के जिसका रजि० नं० UP16 FM3710 को चमरौली तिराहा से बरामद किया गया । अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि दिनांक 27.07.2026 को चोरी करने के बाद जब हम अपनी बिना नम्बर की स्कूटी से जा रहे थे तभी अनंत भोग जगदीशपुर के सामने अचानक जानवर सामने आ जाने के कारण हमारा एक्सीडेंट हो गया हम लोगों को एम्बुलेन्स सीएचसी नवाबगंज उपचार हेतु लायी थी जहां हमारा उपचार हुआ था बाद समाप्त उपचार जब हम लोग जब स्कूटी लेने हेतु जा रहे थे तभी पुलिस द्वारा हम लोगो को गिरफ्तार कर लिया गया ।

अभियुक्त का नाम व पता-

01.विशाल यादव पुत्र प्रेमपाल सिंह उम्र करीब 23 वर्ष निवासी म0नं0 367 छत्तरपुर पहेरी थाना महरौली जिला साउथ दिल्ली मूल निवासी हुमायूँपुर थाना कोतवाली दक्षिण जनपद फिरोजाबाद

02.आशु पुत्र प्रान अहिरवार उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम सरवाई गवहानी थाना सरवाई जनपद छत्तरपुर म0प्र0

आपराधिक इतिहास:-

विशाल यादव पुत्र प्रेमपाल सिंह उपरोक्त-

01.अ0स0 214/2025 धारा 109/352 बीएनएस थाना कोतवाली जनपद इटावा

02.अ0स0 267/2025 धारा 317(2) बीएनएस व 35 बीएनएसएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद इटावा

03.अ0स0 379/2024 धारा 379/411 भादवि थाना नोएडा सेक्टर 39 कमि0 गौतम बुद्ध नगर

बरामदगी:-

एक अदद स्कूटी बिना नम्बर प्लेट क्षतिग्रस्त हालत तथा 01 अदद चोरी के मोबाइल सम्बन्धित अ0स0 322/2026 धारा 305/317(2) बीएनएस व 35(1) बीएनएसएस व 07 अदद अन्य चोरी के मोबाइल तथा 02 अदद जामातलाशी से प्राप्त मोबाइल ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरी0 श्री मु0 नईम खाँ
- 2.उ0नि0 श्री मुकुल कुमार दुबे
- 3.उ0नि0 श्री आशाराम सरोज
- 4.हे0का0 योगेन्द्र सिंह
- 5.का0 नरेन्द्र कुमार
- 6.का0 पुष्पेन्द्र सिंह
- 7.का0 शुभम चौधरी
- 8.का0 पवन कुमार-02
- 9.रि0का0 प्रवीण पाण्डेय
- 10.रि0का0 मुकेश कुमार





प्रेस नोट - दिनांक 29.07.2026

थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव ।

आवेदक के खाते में 43,776.50/- रू0 रिफण्ड कराये गये।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा आवेदक के खाते में 43,776.50/- रू0 रिफण्ड कराये गये।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 30.06.2026 को आवेदक मनीष सक्सेना पुत्र श्री राकेश सक्सेना निवासी कंचन नगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव द्वारा आनलाइन साइबर पोर्टल पर बावत क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 43,776.50/-रू0 का फ्राड होने विषयक प्रार्थना पत्र दिया गया था । जिस पर कोतवाली गंगाघाट साइबर टीम उन्नाव द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 29.07.2026 को आवेदक के खाते में 43,776.50/- रुपये की धनराशि रिफण्ड करायी गयी।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह
2. अपराध निरीक्षक श्री माबूद रजा
3. महिला आरक्षी समरीन बानो





प्रेस नोट - दिनांक 29.07.2026
थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव ।

यूपीआई के माध्यम से फ्रॉड किये गये 7490/- रु0 रिफण्ड कराये गये

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा यूपीआई के माध्यम से फ्रॉड किये गये 7490/- रु0 रिफण्ड कराये गये

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 14.01.2026 को आसमा फारुकी पत्नी सानू निवासी त्रिभुवन खेडा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव द्वारा आनलाइन साइबर पोर्टल पर बावत बावत यूपीआई के माध्यम से 7490 रु0 का फ्राड होने विषयक प्रार्थना पत्र दिया गया था । जिस पर थाना गंगाघाट साइबर टीम उन्नाव द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 29.07.2026 को पीड़िता के खाते में 7490/- रुपये की धनराशि रिफण्ड करायी गयी।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह कोतवाली गंगाघाट ,जनपद-उन्नाव ।

अपराध निरी० माबूद रजा

महिला आरक्षी समरीन बानो





प्रेस नोट - दिनांक 29.07.2026
थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव ।

आत्महत्या के दुष्प्रेरण की वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण की वांछित अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 27.07.2026 को वादी मुकदमा सुनील कुमार पुत्र श्री शिवरतन निवासी ग्राम मगरवारा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव द्वारा थाना कोतवाली पर इस बावत विपक्षीय मृतक की पत्नी व उसके घरवालों द्वारा वादी के पुत्र पवन उम्र करीब 30 वर्ष को मानसिक प्रताड़ित करना जिससे क्षुब्ध होकर पवन द्वारा आत्म हत्या कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया जिस सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 465/2026 धारा 108 बीएनएस पंजीकृत किया गया । जिसकी विवेचना उ0नि0 रवि शंकर पाण्डेय द्वारा की जा रही है । दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में मृतक की पत्नी/अभियुक्ता रागिनी राठौर पत्नी स्व0 पवन राठौर निवासी मगरवारा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव को आज दिनांक 29.07.2026 को राजधानी मार्ग नियर मसवासी मोड़ से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्ता के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अभियुक्ता का नाम व पता-

1. रागिनी राठौर पत्नी स्व0 पवन राठौर निवासी मगरवारा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव उम्र करीब 25 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्र0नि0 चन्द्र कान्त मिश्र थाना कोतवाली उन्नाव
उ0नि0 रविशंकर पाण्डेय
आरक्षी अंकेश कुमार,
का0 लोकेश प्रताप,
म0का0 राखी





प्रेस नोट - दिनांक 29.07.2026
थाना पुरवा, जनपद उन्नाव ।

दो वारंटी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पुरवा पुलिस द्वारा दो वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 29.07.2026 को थाना पुरवा पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1. हीरा पुत्र देवी प्रसाद निवासी ग्राम कसुआखेडा मजरा तारागढी थाना पुरवा जिला उन्नाव 2. गंगाराम पुत्र श्रीकृष्ण नि० बकुली खेड़ा थाना पुरवा जनपद उन्नाव को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. हीरा पुत्र देवी प्रसाद निवासी ग्राम कसुआखेडा मजरा तारागढी थाना पुरवा जिला उन्नाव
2. गंगाराम पुत्र श्रीकृष्ण नि० बकुली खेड़ा थाना पुरवा जनपद उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० विनोद सिंह
- 2.उ०नि० सियाराम
- 3.का० सारांश सैनी
- 4.का० संदीप सचान